

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 686] No. 686] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 7, 2017/फाल्गुन 16, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 7, 2017/PHALGUNA 16, 1938

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 761(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के माध्यम से छात्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को वित्तीय सहायता (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्रदान करने के लिए सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता की छात्रवृत्ति स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है;

और, स्कीम के अधीन पूर्वोक्त फायदा में भारत की संचित निधि से उपगत अनावर्ती व्यय अंतर्वहित है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- 1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन-प्रक्रिया पूरी करे।
 - स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक ऐसे पात्र व्यष्टि जिनके पास आधार संख्या नहीं हैं या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किंतु स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक ऐसे पात्र हैं, उन्हें 30 अप्रैल, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा या यदि वह

1282 GI/2017 (1)

व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकता है।

(2) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सत्यिजत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के माध्यम से और फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा और उस दशा में जहां संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार केंद्र अवस्थित नहीं है, वहां सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सत्यिजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के विद्यमान रिजस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधायें उपलब्ध करा सकेगा या सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वयं ही यूआईडीएआई बनकर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा:

परन्तु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि, फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जायेगा, अर्थात:-

- (क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या
 - (ii) पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (ii) में यथा-विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; तथा
- (ख) इस बात का वचनबंध कि छात्र को न तो सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता से छात्रवृत्ति मिल रही है और न ही किसी अन्य प्राधिकरण से अथवा न ही दोनों से; और
- (ग) (i) फोटोग्राफ युक्त बैंक पासबुक; या
 - (ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड या (iv) स्थायी लेखा संख्या (पेन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय शीर्षनामा पर जारी किया गया कोई पहचान प्रमाण-पत्र जिसमें पहचान सुनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति की फोटो भी हो; या (viii) किसान फोटो पास-बुक; या (ix) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

- 2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थायें करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात:
 - (1) मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार और सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के माध्यम से फायदाग्राहियों को व्यष्टिक सूचनाएं प्रदान की जाएगीं ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के संबंध में जागरूक किया जा सके तथा उन्हें पहले से आधार के लिए नामांकन न कराए जाने की स्थिति में उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में 30 अप्रैल, 2017 तक नामांकन कराने की सलाह दी जाएगी तथा उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केंद्रों (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।
 - (2) यदि स्कीम के फायदाग्राहियों के उनके आसपास क्षेत्र जैसे ब्लॉक, तालुका अथवा तहसील में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन नहीं करा पाते हैं, तो सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के माध्यम से यह अपेक्षित है कि वह सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं शुरू करे तथा फायदाग्राहियों से यह अनुरोध करे कि वे पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (3) के प्रथम परंतुक के खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट सूचना के अनुरूप अपने नाम, पता, मोबाइल नं. तथा अन्य ब्यौरा प्रदान करते हुए आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध पत्र सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन

संस्थान, कोलकाता के प्रभारी अधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों में प्रवत्त होगी।

[सं. एस-12015/3/2016-प्रैस]

मिहिर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

S.O. 761(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Information and Broadcasting in the Government of India, is administering Scholarship Scheme of Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata (hereinafter referred to as the scheme) to provide financial assistance (hereinafter referred to as the benefit) to the students (hereinafter referred to as the beneficiary) through the Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata;

And, whereas the aforesaid benefit under the scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

- 1. (1) An eligible individual desirous of availing the benefits under the scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
 - (2) An eligible individual desirous of availing the benefits under the scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing benefits under the scheme shall have to apply for Aadhaar enrollment by 30th April, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.
 - (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Information and Broadcasting through Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata which requires a beneficiary to furnish proof of possession of Aadhaar number and shall ensure Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar number and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Information and Broadcasting through the Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (hereinafter referred to as the UIDAI) or by Ministry of Information and Broadcasting itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:—

- (a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
 - (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and
- (b) Undertaking that the student is not getting scholarship either from Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata or from any other authority or both; and

(c) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card, or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) any other documents as specified by the Ministry of Information and Broadcasting:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry of Information and Broadcasting for that purpose.

- 2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the scheme to the beneficiaries, the Ministry of Information and Broadcasting through the Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata shall make all the required arrangements including the following, namely:-
 - (1) Wide publicity through media and individual notices through Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata shall be given to the bbeneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar number under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th April,2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.
 - (2) In case, bbeneficiaries of the scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the near vicinity such as Block, Taluka or Tehsil, the Ministry of Information and Broadcasting through Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata, is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the clause (c) to first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, to the in-charge officer at Satyajit Ray Films and Television Institute, Kolkata or through the web portal provided for the purpose.
- 3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union territories Administrations except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. S-12015/3/2016-Press] MIHIR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

का.आ. 762(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पत्रकारों तथा उनके परिवारों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से पत्रकार कल्याण स्कीम का (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है;

और स्कीम के अधीन पूर्वोक्त फायदा में भारत की संचित निधि से अनावर्ती व्यय अंतर्वहित है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात :-

- (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।
 - (2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक ऐसे पात्र व्यष्टि जिनके पास आधार संख्या नहीं हैं या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किन्तु स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें 30 अप्रैल, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा या यदि वह व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकता है।
 - (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से आधार संख्या का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, और ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा और उस दशा में जहां संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार केंद्र अवस्थित नहीं है, वहां सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्वयं यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधायें उपलब्ध करा सकेगा:

परन्तु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि, फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जायेगा, अर्थात :-

- (क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या
 - (ii) पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (ii) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अन्रोध की प्रति; तथा
- (ख) इस बात का वचनबंध पत्र कि पत्रकार या उसका परिवार स्कीम के अधीन सूचना और प्रसारण मंत्रालय या किसी अन्य प्राधिकरण से अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी विशेष वित्त वर्ष में किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता का उपभोग नहीं कर रहा है; और
- (ग) (i) फोटोग्राफ युक्त बैंक पासबुक; या (ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र; या (iii) राशन कार्ड या (iv) स्थायी लेखा संख्या (पेन) कार्ड; या (v) पासपोर्ट; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय शीर्षनामा जारी किया गया कोई पहचान प्रमाण पत्र जिसमें पहचान सुनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति की फोटो भी हो; या (viii) किसान फोटो पास बुक; या (ix) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

- 2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थायें करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात:
 - (1) मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार और प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से फायदाग्राहियों को व्यक्तिगत रूप से व्यष्टिक सूचनाएं प्रदान की जाएगीं तािक उन्हें स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के संबंध में जागरूक किया जा सके तथा उन्हें पहले से आधार के लिए नामांकन न कराए जाने की स्थिति में उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्रों में 30 अप्रैल, 2017 तक नामांकन कराने की सलाह दी जाएगी तथा उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केंद्रों (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।

- (2) यदि स्कीम के फायदाग्राहियों के उनके आसपास जैसे ब्लॉक, तालुका अथवा तहसील में आधार नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण आधार के लिए नामांकन नहीं करा पाते हैं, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से यह अपेक्षित है कि वह सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं शुरू करे तथा फायदाग्राहियों से यह अनुरोध करे कि वे पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (3) के प्रथम परंतुक के खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट सूचना के अनुरूप अपने नाम, पता, मोबाइल नं. तथा अन्य ब्यौरा प्रदान करते हुए आधार नामांकन के लिए अपने अनुरोध प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रभारी अधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करें।
- 3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस-12015/3/2016-प्रेस]

मिहिर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

S.O. 762(E).—whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, is administering the Journalist Welfare Scheme (hereinafter referred to as the scheme) through Press Information Bureau, to provide financial assistance (hereinafter referred to as the benefit) to the journalists and their families (hereinafter referred to as the beneficiary);

And, whereas, the aforesaid benefit under the scheme involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

- 1. (1) An eligible individual desirous of availing the benefits under the scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
 - (2) An eligible individual desirous of availing the benefits under the scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desires of availing the benefits under the scheme shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th April,2017 in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.
 - (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Information and Broadcasting through the Press Information Bureau which requires beneficiaries to furnish proof of possession of Aadhaar number and shall ensure Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Information and Broadcasting through the Press Information Bureau may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (hereinafter referred to UIDAI) or by Ministry of Information and Broadcasting becoming UIDAI Registrar.

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar enrolment ID slip'; or
 - (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and
- (b) Undertaking that the journalist or his or her family, is not availing any financial assistance from Ministry of Information and Broadcasting under the scheme or from any other authority either in his or her name or in the name of any family member in a particular financial year; and
- (c) (i) Bank pass book with photograph; or
 - (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card, or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo if such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) Kisan Photo pass book; or (ix) any other documents as specified by the Ministry of Information and Broadcasting:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry of Information and Broadcasting for that purpose.

- 2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the scheme to the beneficiaries, the Ministry of Information and Broadcasting through the Press Information Bureau shall make all the required arrangements including the following, namely:—
 - (1) Wide Publicity through media and individual notices through Press Information Bureau shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th April, 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available Aadhaar enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.
 - (2) In case, beneficiaries of the scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the near vicinity such as Block, Taluka or Tehsil, the Ministry of Information and Broadcasting through Press Information Bureau, is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the clause (c) to the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 to the in-charge officer of the Press Information Bureau or through the web portal provided for the purpose.
- 3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union territories administration except the states of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. S-12015/3/2016-press] MIHIR KUMAR SINGH, Jt. Secy.